अध्याय XV : नीति आयोग

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान

15.1 पदों की संस्वीकृति के बिना स्टाफ की भर्ती

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंघन में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के संस्वीकृत पद को संशोधित किया था जिसके परिणामस्वरूप उनके वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

वित्त मंत्रालय ने निर्देश दिया (अक्तूबर 1984) कि स्वायत्त निकाय जिन्हें भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, के नियम और उपनियमों में उसके वेतनमान, भत्तों और संशोधन को अपनाने वाली रोजगार के प्रभाव से संबंधित उनके प्रासंगिक उपनियमों/नियमों/ नियमावलियों में स्थिर रूप से प्रतिबंधात्मक खंड शामिल करना चाहिए और विशेष वेतन स्तर से ऊपर पद के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। मई 1993 में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने स्वायत्त निकायों पर भी लागू होने वाले निर्देश जारी किए थे कि संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के वर्ग 'ए' के पदों का सृजन वित्त मंत्री के अनुमोदन से होगा।

राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान (एनआईएलईआरडी) नीति आयोग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है और इसे वास्तव में नीति आयोग से सहायता अनुदान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

एनआईएलईआरडी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एनआईएलईआरडी में संकाय के अंतर्गत (अनुसंधान और शिक्षा सहायता सेवाएं) संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के वर्ग 'ए' स्तर (संयुक्त सचिव स्तर के नीचे) के संस्वीकृत पद 30 सितम्बर 2012 को क्रमशः चार, 10 और 11 थे। एनआईएलईआरडी के सामान्य परिषद ने 23 जनवरी 2013 को हुई अपनी 46वीं बैठक में संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक के पदों की संस्वीकृत संख्या का क्रमशः चार से छः, 10 से 12 और 11 से 18

तक के संशोधन को स्वीकृति दी थी। उसके पश्चात्, एनआईएलईआरडी ने नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक की संस्वीकृत संख्या को संशोधित किया था। तब से, सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन प्राप्त नहीं किए गए थे, इन अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर ₹ 1.02 करोड़ का व्यय अनियमित था।

एनआईएलईआरडी ने बताया (दिसम्बर 2017) कि अन्य कैडरों में छोड़ने/पदों को समाप्त करने से मेल खाते योगदान को प्रदान करते हुए पदों को संशोधित किया था। यह बताया कि संस्थान प्रलेख और उप-नियम की समीक्षा/अद्यतन चल रहा था उनके स्टाफ के वेतन तथा भत्तों के संशोधन तथा समान स्थापना व्यय से संबंधित मामले में शासी निकाय की शक्तियों से संबंधित प्रतिबंधात्मक खंड को शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आगे, संशोधित संस्वीकृत पद संख्या के लिए वित्त मंत्रालय से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा जाएगा।

मामले की सूचना सितम्बर 2017 में नीति आयोग को दे दी गई थी, उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।